# कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन कमिश्नरेट वाराणसी

## प्रेस नोट

**दिनांक-29.09.2025**

**विषयः- "आपरेशन कन्विक्शन" के तहत प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप थाना सारनाथ मे पंजीकृत एनडीपीएस एक्ट के मुकदमे से सम्बन्धित अभियुक्त को जेल में बिताई गयी अवधी का कारावास व कुल 5000/- रु0 का अर्थदण्ड।**

थाना सारनाथ, कमिश्नरेट वाराणसी में पंजीकृत मु0अ0सं0-35/2011 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त मिलन नुडुल पुत्र स्व0 आशाडुल नुडुल निवासी- माडवेसोरी थाना मुरारोई जनपद बीरभूमि प0 बंगाल को प्रभारी निरीक्षक सारनाथ व मॉनिटरिंग सेल वाराणसी की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप आज दिनांक- 29.09.2025 को माननीय न्यायालय एएसजे/एफटीसी-14 जनपद वाराणसी द्वारा दोषसिद्ध पाते हुए अभियुक्त मिलन नुडुल उपरोक्त को धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत अपराध में जेल में बिताई गयी अपराध के कारावास की सजा व 5000/- रुपये का अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में अभियुक्त कुल 01 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगेगा।

**सोशल मीडिया सेल**
**पुलिस उपायुक्त, वरुणा जोन**
**कमिश्नरेट वाराणसी।**